विश्वविद्यालय, पूसा में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरल पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षा का संचालन अगली अधिसूचना तक वर्तमान में लागू शैक्षणिक नियमों के अनुसार चलेगा। विस्तृत विवरणी विश्वविद्यालय के वेवसाईट पर उपलब्ध है।

आर० सी० श्रीवास्तव, कुलपति

[विज्ञापन–III/4/असा./285/17]

ORDINANCE

New Delhi, the 15th September, 2017

(No. 6 of 2017)

No. 79/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education/Indian Council of Agricultural Research on the basis of recommendation of the Ist meeting of the Academic Council held on 08.07.2017 and resolution passed in the 2nd meeting of the Board of Management of the University held on 14.07.2017 has approved to make an ordinance regarding the conduct of examination, including the term of office and manner of appointment and duties of examining bodies, examiners and moderators of the students of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa F.No. 5-50/2017-CAU dated 12th September 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with clause (g) of sub-section (1) of Section 28 of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act.2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, do hereby make this Ordinance and notify the condition and procedure for conduct of semester system of examination for Under-graduate, Post-Graduate and Doctoral Programme of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa as per existing Academic Regulations of the University till further notification. The details are available on website of the University.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./285/17]

अध्यादेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

(क्रमांक 07/2017)

सं. 80/डॉ०आर०प्र०के०कृ०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने प्रबंध परिषद् की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5–50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में चयन समिमि के गठन की विधि एवं गैर–शैक्षणिक कर्मियों के अर्हता से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2016 की धारा 18(8) जो कि धारा 21(2) के साथ पठनीय है में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा परिशिष्ट–1 पर संलग्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कृषि विज्ञान केन्द्रों के सभी पदों के लिए भर्ती नियमावली अधिसूचित करता हूँ।

आर० सी० श्रीवास्तव, कुलपति

[विज्ञापन–III/4/असा./285/17]

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अंतर्गत वैज्ञानिकों और कृषि विज्ञान केन्द्र कर्मचारियों की भर्ती के प्रस्तावित नियम

पद	आईसीएआर द्वारा निर्धारित अर्हताएँ	डीआरपीसीएयू द्वारा गृहीत	गृहीत भर्ती प्रक्रिया
कार्यक्रम समन्वयक/वरीय वैज्ञानिक और अध्यक्ष (वेतन बैंड–4, ग्रेड वेतन रु. 9000/–) वेतनमान रु. 37400/– 67000 ध्यातव्य : पदधारक जो एसोसिएट प्राफेसेर सह वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में तीन साल से कम सेवा अनुभव	अनिवार्य अर्हताएँ :– क. अभियांत्रिकी विषय के अलावा अन्य विषय के लिए : संबद्ध विज्ञानों सहित प्रासंगिक विषय में पी.एच.डी. उपाधि के साथ संबद्ध विषय में वैज्ञानिक/व्याख्याता/प्रसार विशेषज्ञ या समकक्ष पदधारक के रूप में वेतनमान रु. 15600–39100/– पर ग्रेड वेतन रु. 5400/6000/7000/8000 के साथ आठ सालों का अनुभव प्रकाशन कार्य/नवोन्मेषी कार्य/प्रभावी कार्य के रूप में शोध/शिक्षण/विस्तारित शिक्षा में योगदान	आईसीएआर /एएसआरबी द्वारा निर्धारित एसोसिएट प्राफेसेर/वरिष्ठ वैज्ञानिकों के भर्ती नियमों के सदृश्य (स्तंभ – 2 में जैसा निर्धारित है)	i अंक कार्ड ii प्रस्तुति iii साक्षात्कार